



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)  
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह  
Prof. Krishna Kumar Singh  
कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661  
फैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 076/2016/स्कूल बोर्ड/08/1104  
दिनांक : 22.11.2018

## अधिसूचना

प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के गठन के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 076/2016/स्कूल बोर्ड/08/ 282, दिनांक 01.06.2016 के क्रम में स्कूल बोर्ड (School Board) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है-


1.	संकायाध्यक्ष	:	अध्यक्ष
2.	विद्यापीठ के अंतर्गत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष	:	अध्यक्ष, प्रबंधन एवं वाणिज्य विभाग
3.	विद्यापीठ के सभी प्रोफेसर	:	उपलब्ध नहीं।
4.	विद्यापीठ के सभी विभागों से एक एसोशिएट प्रोफेसर चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर।	:	उपलब्ध नहीं।
5.	विद्यापीठ के सभी विभागों/केंद्रों से एक सहायक प्रोफेसर चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर।	:	उपलब्ध नहीं।
6.	कुलपति द्वारा नामित भूतपूर्व विद्यार्थी	:	सुश्री ऋतुजा वानखेडे (मो.8485014745)
7.	कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	:	प्रो. नीना सिन्हा, यू.एस.एम.एड., जी.जी.एम.आई.सी., दिल्ली
		:	प्रो. संतोष सदार, अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती (महाराष्ट्र)

क्रम संख्या 06 और 07 के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। तीन सदस्यों की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूरा होगा जिसमें एक बाह्य विषय विशेषज्ञ का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. अधिष्ठाता, प्रबंधन विद्यापीठ।
4. अकादमिक विभाग।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल।

  
(कृष्ण कुमार सिंह)